तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/506/2005/राजसमंद** **माधुसिंह (मृतक) जरिये वारिसान बनाम रामलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित

श्री संजय बोहरा, अभिभाषक प्रार्थी।

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 27–1–2025

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर, राजसमंद द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–10–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी द्वारा तहसीलदार, राजसमंद के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183–बी के तहत् एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम करेड़ा में स्थित विवादित आराजीयात बाबत् कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार, राजसमंद द्वारा हल्का पटवारी करेड़ा से रिपोर्ट प्राप्त कर अपने आदेश दिनांक 19–2–2003 द्वारा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर विवादित आराजीयात से प्रार्थी को बेदखल करने एवं कब्जा खातेदारान को सुपुर्द कर प्रार्थी पर लगान 10–92 का 50 गुणा अर्थात् 546/– रूपये जर्माना आरोपित किये जाने का आदेश प्रदान किया गया। तहसीलदार, राजसमंद द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–2–2003 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, राजसमंद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 4–10–2004 द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–10–2004 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई।

4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषकगण ने बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है। उनका कथन है कि प्रार्थी को ग्राम गुडली तहसील आमेट की आराजी खसरा नंबर 372 रकबा 12 बीघा भूमि राजस्थान भू–दान यज्ञ बोर्ड ने दिनांक 20–12–1962 को आवंटित की गई थी। उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजीयात दो तहसीलों के मध्य की कृषि भूमि है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का लगभग 43 वर्षों से निर्बाध रूप से उपयोग–उपभोग अपने पिता के समय से ही चला आ रहा है। उक्त

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/506/2005/राजसमंद** **माधुसिंह (मृतक) जरिये वारिसान बनाम रामलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजी पर प्रार्थी के पिता श्री घासी सिंह पुत्र श्री बाध सिंह जाति राव निवासी गुडली को राजस्थान भू–दान यज्ञ बोर्ड द्वारा दिनांक 20–12–1962 को आवंटित की गई थी। तहसीलदार, राजसमंद द्वारा अपने आदेश दिनांक 19–2–2003 द्वारा प्रार्थी को बेदखल करने का आदेश पारित किया गया एवं उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद बाहर मानते हुए खारिज कर दिया गया, जो कि विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में ए.आई.आर 2002 (राज) पृष्ठ 92, आर.आर.डी. 194 पृष्ठ 773, आर.आर.टी. 2003 (1) पृष्ठ 207, ए.आई. आर 2002 पृष्ठ 1201, आर.आर. डी. 1996 पृष्ठ 457, आर.आर.डी. 1998 पृष्ठ 319 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर, राजसमंद द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–10–2004 को निरस्त किया जावे। 5– हमने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। 6– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का ग्राम करेडा की आराजी नंबर 94 से 103 किता 10 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा बाबत् धारा 183–बी के तहत् वाद प्रस्तुत कर उक्त भूमि पर सवर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा किए गए कब्जे को हटाने बाबत प्रस्तुत किया। जमाबन्दी संवत् 2054 से 2056 विवादित खसरा नंबर पर धूला पिता सूरता, मेघा, लच्छा, डलिया पिता सवा, गोदा, भजा, रतना, भमरी, संताषी पिता नारिया भील सा0 देह खातेदार नामान्तरकरण 325 दर्ज है । तहसीलदार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 183–बी स्वीकार कर प्रार्थी को बेदखल कर लगान आरोपित किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183–बी में यह प्रावधित किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने बिना किसी कानूनी अधिकार के किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है या कब्जा कर रखा है, उसको सरसरी जॉच करके बेदखल किया जा सकेगा। इन्हीं प्रावधानों की पालना में तहसीलदार ने उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांक 19–2–2003 को स्वीकार किया, जो एक विधिसम्मत आदेश था। जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा दिनांक 23–5–2003 को जिला कलेक्टर, राजसमन्द के न्यायालय में अपील पेश की, जो उन्होंने मियाद बाहर मानकर खारिज की गई। ऐसे मियाद बाहर अपील के विरूद्ध निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। निगरानी का क्षेत्र सीमित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 मूलतः इस प्रकार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/506/2005/राजसमंद** **माधुसिंह (मृतक) जरिये वारिसान बनाम रामलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है–

> **230- Power of the Board to call for cases**- The Board may call for the record of any cases decided by any subordinate revenue court in which no appeal lies either to the Board or to a civil court under section 239 and if such court appears-
>
> (a) to have exercised jurisdictions not vested in it by law:or
>
> (b) to have failed to exercise jurisdictions so vested :or
>
> (c) to have acted in the exercise of its jurisdictions illegally or with material irregularity.
>
> Board may pass such orders in the cases as it thinks fit.

उक्त धारा में यह भी प्रावधित किया है कि जब अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया गया है, जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है या न्यायालय निहित अधिकारिता का उपयोग करने में असफल रहा हो या उसमें निहित अधिकारिता का अवैधानिक या तथ्यात्मक अनियमितता के रूप में उपयोग किया हो, तो निगरानी की जा सकती है। उक्त प्रावधानों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हमें कोई तथ्यात्मक या क्षेत्राधिकारिता संबंधी कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने से यहां सहायक नहीं है। अतः निगरानी निरस्त योग्य है ।

7– अतः उक्त विवेचन के फलस्वरूप यह निगरानी खारिज की जाती है।

पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 श्रवण कुमार बुनकर)
सदस्य